रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228933
SG-DL-E-12082021-228933

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 226]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943	[N. C. T. D. No. 126

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सं. फा. 1(22)/अभिलेख/2014/1116.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं0 का.आ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, यथा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**— (i) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इन का वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**— उक्त पदों की संख्या, इन का वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादिः**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता**:—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की भाक्ति**:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम अधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:—इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभावन हीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम।**	:	**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)।**
2.	**पदों की संख्या।**	:	13*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण।**	:	समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय।
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	:	स्तर— 1 (18000—56900 रुपये)।
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद।**	:	लागू नहीं।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा।**	:	18—25 वर्ष के बीच । **टीप 1**: यदि एमटीएस के पद के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य समान एजेंसियों के माध्यम से होती है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों की आयु—सीमा 18—27 वर्ष निर्धारित की जाए अन्यथा आयु—सीमा 18—25 वर्ष यथावत रहेगी। **टीप 2** :आयु—सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयनबोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होंगे।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं।**	:	**अनिवार्य** :— (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।**	:	दो वर्ष।
10.	**भर्ती की पद्धति।**	:	सीधी भर्ती द्वारा।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति/**	:	लागू नहीं।

	पतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।		
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) : 1. प्रधानसचिव/सचिव (ऊर्जा),राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष। 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा/अभिलेखागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य। 3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा/अभिलेखागार)

DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2021

No. F. 1(22)/Archives/2014/1116.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affair's notification number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement. -** (1)These rules may called the Department of Delhi Archives for the post of Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.
4. **Disqualifications. -** No persons, -

   (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection or Non-Selection Post.**	**Age limit for Direct Recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff (MTS).	13* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group – C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 1 (Rs. 18000-56900).	Not Applicable.	Between 18-25 Years. **Note 1:** If recruitment for the post of MTS is made through SSC or any other similar recruitment agencies, in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of Probation, if any.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Matriculationor equivalent pass from a recognized Board/ Institution.	Not Applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.

In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation) :** 1. Pr. Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : Chairman. 2. Secretary (ACL/ Archives), Government of NCT	Not Applicable.

	of Delhi : Member. 3. Deputy Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi : Member.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (ACL/Archives)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.12 16:55:21 +05'30'